

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 297 / 15

संस्थापन दिनांक:-09 / 06 / 15

फाईलिंग नं. 233504001132015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

नामदेव पिता रघुवीर कापसे
उम्र 42 वर्ष, निवासी राससेड़ा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 28.03.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 11.05.2015 को समय 07:45 बजे या उसके लगभग प्रार्थिया के घर के पास राससेड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी निर्मला और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी निर्मला को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को सत्रांस कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.05.2015 को रात करीब 07:45 बजे फरियादी के मोबाईल पर अभियुक्त ने गंदी गंदे मेसेज किये जिस पर उसने अभियुक्त से मेसेज क्यों किया कहा तो इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी मां बहन की गाली गलौच की जो उसे सुनने में बुरी लगी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसे दांहिने हाथ की अंगूठे में चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 263/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 निर्मला (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसके घर के सामने आकर एण्ड बैंड गालियां दी थी। साक्षी शिवदास (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उन्हें मां बहन की उटपटांग गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी/फरियादी निर्मला (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा एण्ड बैंड गालियां एवं साक्षी शिवदास (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय उन्हें मां बहन की गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी शिवदास (अ.सा.-3) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त फरियादी या अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी शिवदास (अ.सा.-3) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय जान से खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 निर्मला खातरकर (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसके दांहिने हाथ के अंगूठे पर चोट आयी थी। शिवदास (अ.सा.-3) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया था जिससे उसे चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 12.05.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत निर्मला का परीक्षण किये जाने पर आहत के दांहिने हाथ के अंगूठे में 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था जिसके लिए उसने आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी ने उक्त चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) को प्रमाणित भी किया है।

10 शिव बहादुर सिंह सेंगर (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 11.05.2015 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 263/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 13.05.2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा स्वयं फरियादी के कथनों में विरोधाभास है। अतः अभियोजन कथा को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी चंद्रकला खातरकर (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष में गवाह देने से बचता है। अतः साक्षी के समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **उत्तरप्रदेश राज्य विरुद्ध अनिल सिंह (1988) पूरक एससीसी 686** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रकरण अन्य दृष्टि से सिद्ध व स्वीकार योग्य है तो प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन के अभाव पर अभियोजन मामले को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही अभिमत **म.प्र. राज्य विरुद्ध छगनलाल 2003 (1)जे.एल.जे. 362** में भी लिया गया है।

13 प्रकरण में फरियादी निर्मला खातरकर (अ.सा.-1) एवं उसके पति शिवदास (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह देखा जाना है कि उनकी साक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नहीं। निर्मला खातरकर (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर के सामने की शाम करीब 06:30 बजे की है। अभियुक्त नामदेव ने उसके मोबाईल पर मेसेज किया था तो अभियुक्त ने उसे एण्ड बैंड गालियां दी थी और कुछ नहीं किया था। आगे इस साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसे दाहिने अंगूठे में चोट आयी थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि इसके अलावा अभियुक्त ने उससे कुछ और नहीं बोला था। शिवदास (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना शाम के लगभग 5 बजे की है। अभियुक्त नामदेव ने मोबाईल पर मेसेज किया था। मेसेज के संबंध में उसने और उसकी पत्नी निर्मला ने अभियुक्त से कहा तो अभियुक्त ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया था जिससे उसकी पत्नी निर्मला को हाथ में

चोट आयी थी।

14 निर्मला खातरकर (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि अभियुक्त नामदेव के साथ उसका लड़ाई झगड़ा है। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि **अभियुक्त ने उसके साथ कोई झूमा झटकी नहीं की थी**। पुनः से इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कुछ नहीं किया था यह बात उसने पुलिस को बता दी थी और झगड़ा होते हुए भी किसी ने नहीं देखा था। पैरा क. 06 में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि झूमा झटकी उसे चोट नहीं आयी थी और अभियुक्त ने उसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया था। शिवदास (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तब वह घर से थोड़ी दूरी पर था और घटना के समय उसके अलावा और कोई भी नहीं था।

15 अभियोजन कथा अनुसार मेसेज की बात पर से फरियादी ने अभियुक्त से बात की जिस पर से अभियुक्त ने उसे मारपीट कर दांहिने हाथ का अंगूठा मोड़ दिया। घटना शिवदास एवं घर के आसपास के लोगों के द्वारा देखी गयी। फरियादी निर्मला (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे केवल गालियां दी थी और कुछ नहीं किया था। आगे इस साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ हाथापाई की थी। हाथापाई का मतलब है कि मारपीट की थी और मारपीट से उसके दांहिने हाथ के अंगूठे पर चोट आयी थी। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त नामदेव ने उसके साथ कोई झूमा झटकी नहीं की थी परंतु पुनः से साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में इस सुझाव को गलत बताया है कि झूमा झटकी में उसके हाथ में चोट नहीं आयी थी तथा साक्षी ने पैरा क. 07 में इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ झगड़ा नहीं किया था।

16 शिवदास (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में उसके और उसकी पत्नी के द्वारा अभियुक्त से मेसेज के संबंध में बोला जाना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तब वह थोड़ी दूरी पर था। घटना शाम 07:30 बजे की है और घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन लगभग 12:30 बजे की गयी है। अतः विलंब से रिपोर्ट लेख कराया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। यद्यपि फरियादी निर्मला खातरकर (अ.सा.-1) अभियुक्त द्वारा उसे मारपीट किये जाने के संबंध में अपने प्रतिपरीक्षण में भिन्न भिन्न कथन किये हैं परंतु अन्ततः साक्षी इस तथ्य पर स्थिर रही है कि अभियुक्त ने मेसेज के विवाद पर से उसका हाथ का अंगूठा मोड़ दिया था। चिकित्सक साक्षी ने भी आहत के हाथ के अंगूठे में चोट आना बताया है। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है।

17 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी निर्मला खातरकर (अ. सा.-1) के साथ मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी निर्मला और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को सत्रांस कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी निर्मला को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त नामदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला-बैतूल(म.प्र.)

पुनश्च :-

20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध हाथ मुक्के से मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

22 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत निर्मला पति शिवदास खातरकर निवासी रायसेड़ा, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)